

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च 2023—फाल्गुन 26, शक 1944

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

हमारी पुत्री सुश्री कनुप्रिया मेवाड़ा पुत्री श्री सतीश मेवाड़ा, आयु 05 वर्ष, निवासी-86/ए, अंबेडकर नगर, भोपाल (म.प्र.) के नाम से जानी पहचानी जाती है एवं नाम सुश्री कनुप्रिया मेवाड़ा लिखने लगी है। पूर्व में हमारी पुत्री सुश्री काशवी मेवाड़ा पुत्री श्री सतीश मेवाड़ा, आयु 05 वर्ष, निवासी-86/ए, अंबेडकर नगर, भोपाल (म.प्र.) के नाम से जानी पहचानी जाती थी। अब हमारी पुत्री हमेशा के लिये सुश्री कनुप्रिया मेवाड़ा पुत्री श्री सतीश मेवाड़ा के नाम से जानी एवं पहचानी जावे।

पुराना नाम

(काशवी मेवाड़ा)

द्वारा पिता सतीश मेवाड़ा

(G-393)

नया नाम

(कनुप्रिया मेवाड़ा)

द्वारा पिता सतीश मेवाड़ा

सरनेम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अवयस्क पुत्र कनिष्क के चमेलीदेवी पब्लिक स्कूल अभिलेख में भूल व त्रुटिवश सरनेम माली (MALI) लिखा गया है जिसे बदलकर वर्मा (VERMA) कर लिया है। अतः मेरे पुत्र के स्कूल अभिलेख में नाम कनिष्क वर्मा (KANISHK VERMA) लिखा व पढ़ा जावे।

पुराना नाम

(कनिष्क माली)

G-394)

नया नाम

(कनिष्क वर्मा)

पिता—रविन्द्र वर्मा,

391, माली मोहल्ला, बिजलपुर,

इन्दौर (म.प्र.)—452012.

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अंकसूची पर नाम SUDHA JAIN दर्ज है, जबकि मेरे आधारकार्ड नं. 8931 4823 5831 पर नाम RAJNI दर्ज है. उक्त दोनों नाम एक ही महिला अर्थात् मेरे स्वयं के हैं. इन दोनों नाम के अलग अलग महिला नहीं है. मेरे आधारकार्ड पर मेरा नाम संशोधित कर सही नाम SUDHA JAIN मान्य किया जावे व इसी नाम से जाना जावे.

द्वारा—

संजीव जैन, एडव्होकेट नोटरी
शास्त्री वार्ड, बीना.

नया नाम

SUDHA JAIN,
W/o RAJESH MIDLA,
कटरा वार्ड, बीना, जिला सागर (म.प्र.).

(G-395)

नाम परिवर्तन

मैं, आयुष्मान छारी पिता तिमेश कुमार छारी, निवासी एच-25, विन्डसर हिल, ग्वालियर, मेरी 10वीं की अंकसूची में मेरे पिता का नाम "तिमेश छारी" एवं अन्य सभी दस्तावेजों में नाम "तिमेश कुमार छारी" है. मेरी 10वीं की अंकसूची में भी मेरे पिता का नाम तिमेश कुमार छारी दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(आयुष्मान छारी)
पिता—तिमेश छारी

नया नाम

(आयुष्मान छारी)
पिता—तिमेश कुमार छारी,
निवासी— एच-25, विन्डसर हिल, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-396)

नाम परिवर्तन

मैं, शपथकर्ता का नाम निर्मल सिंग कुमार पिता कन्हैयालाल बेलिया उम्र-69 वर्ष, पता-वार्ड क्र. 03, चाचा मोहल्ला, चांदामेटा, तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा का निम्न कथन शपथपूर्वक करता हूँ :

1. मैं, शपथकर्ता निर्मल कुमार सिंग बेलिया एम.बी.बी.एस. डाक्टर हूँ.
2. मैं, शपथकर्ता निर्मल सिंग कुमार बेलिया के शिक्षा संबंधी समस्त प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम निर्मल सिंग डेहरिया लिखा हुआ है. मैं, अपने पिता के नाम से अपना गोत्र अनुसार नाम परिवर्तन करना चाहता हूँ.
3. मुझ शपथकर्ता का सरनेम (नाम) डेहरिया के स्थान पर निर्मल कुमार सिंग बेलिया करना चाहता या किया जाए.
4. यहकि शपथकर्ता का सही नाम निर्मल सिंग कुमार बेलिया करवाने हेतु उक्त आशय का शपथ-पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है.

सत्यापन

मैं, शपथकर्ता निर्मल कुमार सिंग बेलिया सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र कंडिका क्र. 1 से 4 तक के कथन मेरे स्वतः के ज्ञान से सही हैं. आज दिनांक 02-03-2023 को स्थान परासिया में हस्ताक्षरित किया.

पुराना नाम

(निर्मल सिंग डेहरिया)

नया नाम

(निर्मल सिंग कुमार बेलिया)

(G-397)

कार्यालय, उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 2 मार्च 2023

“प्ररूप-अठारह”
[नियम 19 (5) देखिए]

[धारा 50 की उप-धारा (3) के अधीन नगर विकास स्कीम बनाने की घोषणा]

क्र. 15070-TDS-04-UJN-2022-1037.-एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा नगर विकास स्कीम क्रमांक TDS-04-2022 ग्राम निम्नवासा एवं कोठी महल तैयार की गई है तथा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा 3 के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता है कि इसके नियम 19 के उपनियम (6) के अनुसार उपरोक्त की प्रतिलिपि निरीक्षण हेतु कार्यालय अवधि में निम्नलिखित कार्यालय में उपलब्ध है:-

- (1) उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन विशाला भवन प्रशासनिक क्षेत्र, उज्जैन.
- (2) कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, विशाला भवन प्रशासनिक क्षेत्र, उज्जैन.
- (3) उज्जैन विकास प्राधिकरण की वेबसाईट - www.udaujain.org पर उपलब्ध है.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो नगर विकास स्कीम के प्रारूप से प्रभावित किसी व्यक्ति से अधोहस्ताक्षरकर्ता से कार्यालय में मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिवस के भीतर प्राप्त होती है, पर विचार किया जावेगा.

संदीप कुमार सोनी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

(G-398)

आम सूचना

मैं, श्रीमती उपमा त्रिपाठी, आयु 51 वर्ष, पत्नी श्री लक्ष्मी प्रसाद त्रिपाठी, निवासी -वार्ड नं. 04, छतरपुर रोड, लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की निवासी हूँ, मैं, श्रीमती उपमा त्रिपाठी, मे. त्रिपाठी केशर उद्योग, मढ़ा में दिनांक 12-12-2022 को पार्टनर हो गयी हूँ. यह कि श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व. श्री बैजनाथ त्रिपाठी जो 50 प्रतिशत की पार्टनर मे. त्रिपाठी केशर उद्योग, मढ़ा, लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) में थी. अब श्रीमती सावित्री देवी 40 प्रतिशत की पार्टनर रहेंगी तथा मैं, 10 प्रतिशत की पार्टनर रहूंगी. भागीदार निखिल त्रिपाठी तनय लक्ष्मी प्रसाद त्रिपाठी एवं राहुल गोस्वामी तनय श्री माधवकिशोर गोस्वामी उक्त फर्म में पार्टनर यथावत् रहेंगे. मैंने मे. त्रिपाठी केशर उद्योग, मढ़ा से जुड़ने एवं श्रीमती सावित्री देवी त्रिपाठी की भागीदारी 40 प्रतिशत होने की सूचना जारी की है.

मे. त्रिपाठी केशर उद्योग,

उपमा त्रिपाठी,

पत्नी-श्री लक्ष्मी प्रसाद त्रिपाठी,

(पार्टनर)

निवासी-वार्ड नं. 04, छतरपुर रोड, लवकुशनगर,

जिला-छतरपुर (म.प्र.).

(G-399)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स श्री आदि कृष्ण इंटरप्राइजेज, पता: सी. एम. ए. स्कूल के सामने, वार्ड नं. 24, राधा रेसीडेन्सी, बिसाइड वी-वीनस रीवा रोड, सतना म.प्र.-485001 फर्म पंजीयन 05-26-01-0126-22, दिनांक 23-12-2022 है। यह कि फर्म के प्रथम पार्टनर प्रियंका त्रिपाठी पति स्व. श्री कपिल मुनि त्रिपाठी, उम्र 30 वर्ष, पता- म.नं. 08, श्री राधापुरम कॉलोनी, होशंगाबाद रोड, जिला भोपाल म.प्र.-462046 एवं फर्म के द्वितीय पार्टनर श्री कृष्णकांत तिवारी पिता श्री राम निवास तिवारी, उम्र 25 वर्ष, पता-बनकुइया रोड, मकरवट पो-रूपौली हुजूर रीवा म.प्र.-486001 दिनांक 07-02-2023 से फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं। अतः जिस किसी को भागीदारी विलेख के संबंध में आपत्ति हो तो वह प्रकाशन दिनांक के सात दिवस के अंदर आपत्ति दर्ज करें।

मेसर्स-श्री आदि कृष्ण इंटरप्राइजेज,

आदित्य सिंह बघेल (भागीदार)

सी. एम. ए. स्कूल के सामने, वार्ड नं. 24,
राधा रेसीडेन्सी, बिसाइड वी-वीनस रीवा रोड,
सतना (म.प्र.).

(G-400)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स बी. एच. एस. के. सिक्युरिटास एंड सर्विसेस, पता-30, नागझिरी, देवास रोड, उज्जैन (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक 07-33-01-00066-09, दिनांक 27-02-2009 है, जिसमें दिनांक 05-10-2017 को (1) श्रीमती सरोज कुशवाह पति श्री सतीश सिंह जी कुशवाह, पता-30, नागझिरी, देवास रोड उज्जैन तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन (म.प्र.), (2) श्री अमन सांखला पिता श्री राजेश जी सांखला, पता-55, शांति परिसर, देवास रोड, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन (म.प्र.) को नये भागीदारों के रूप में फर्म मेसर्स बी. एच. एस. के. सिक्युरिटास एंड सर्विसेस, पता-30, नागझिरी, देवास रोड, उज्जैन (म.प्र.) में प्रवेश हुआ है तथा जिसमें दिनांक 23-08-2022 फर्म का पता-30, नागझिरी, देवास रोड, उज्जैन (म.प्र.) के स्थान पर नवीन पता- 4, महालक्ष्मी नगर, देवास रोड, उज्जैन, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन (म.प्र.) हो गया है। वर्तमान में इस फर्म का पता- 4, महालक्ष्मी नगर, देवास रोड, उज्जैन, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन (म.प्र.) से कार्यरत रहेगी। वर्तमान में इस फर्म मेसर्स बी. एच. एस. के. सिक्युरिटास एंड सर्विसेस में निम्न भागीदार रहेंगे।

BHSK SECURITAS & SERVICES,

- (1) सतीश सिंह कुशवाह,
 - (2) हेमलता सांखला,
 - (3) सरोज कुशवाह,
 - (4) अमन सांखला,
- पार्टनर.

(G-401)

PUBLIC NOTICE**U/s. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

Notice is hereby given that the firm "M/S MAA VAISHNAVI ENTERPRISES, office:- 102, Gayadani Apartment, Maina Wali Gali, Lashkar, Gwalior (M.P.)-474001 of Gwalior vide Registration No. 02-42-01-00266-11, dated 23 March 2011 undergone with the following changes :-

- (1) That Smt. Anita Gupta W/o Shri Brajesh Kumar Gupta has retire from the partnership firm W.E.F. 01-04-2022.
- (2) Shri Abhishek Gupta S/o Shri Mahesh Chand Gupta has joined the partnership firm W.E.F. 01-04-2022.

For-M/s. MAA VAISHNAVI ENTERPRISES,

REETESH GUPTA

(Working Partner).

(G-402)

कार्यालय, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

क्र. परि./क्यू./2023

उज्जैन, दिनांक 1 फरवरी 2023

(म. प्र. सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत)

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञापित प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./2022/2903, उज्जैन दिनांक 23.12.2022 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है :-

क्र०	संस्था का नाम	पंजीयन क्र/दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र/दिनांक
01	आदर्श पावरलुम बुनकर सहकारी संस्था मर्या. उज्जैन	DR/UJN / 764 / 25.05.1997	154 / 25.01.2021
02	दिशा सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. महिदपुर	DR/UJN / 1498 / 10.02.1999	1892 / 25.09.2004
03	महिला दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या. अजराना	DR/UJN / 1917 / 4.12.2014	266 / 18.02.2019
04	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. हातियाखेडी	DR/UJN / 2414 / 14.03.2008	266 / 18.02.2019
05	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. रूई	DR/UJN / 2147 / 18.08.2015	2154 / 18.12.2019
06	बीज सहकारी संस्था मर्या. तिलावद	DR/UJN / 2108 / 17.07.15	1622 / 05.05.2017
07	माँ छत्रेश्वरी साख सहकारी संस्था उज्जैन	DR/UJN / 1820 / 22.03.13	2154 / 18.12.2019
08	न्यू अवन्तिका साख सहकारी संस्था मर्या. उज्जैन	DR/UJN / 1452 / 08.05.97	2154 / 18.12.2019
09	सिंधु सामुहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या. उज्जैन	DR/UJN / 332 / 03.02.12	2154 / 18.12.2019
10	प्रिमियर साख सहकारी संस्था मर्या. उज्जैन	DR/UJN / 605 / 01.05.81	1507 / 05.07.2013
11	अन्नपूर्णा कृषि उद्यानिकि सहकारी संस्था उज्जैन	DR/UJN / 1566 / 28.05.01	266 / 05.02.2013
12	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित रानीपिपल्या	DR/UJN / 1935 / 12.12.2014	750 / 09.03.2022
13	आजाद इंडस्ट्रीयल को.ऑप.सोसायटी सहकारी संस्था मर्यादित उज्जैन	DR/UJN / 904 / 19.03.1995	1482 / 03.02.2013
14	प्राथ. जय कालभैरव सेनेटरी मार्ट सह. संस्था मर्या. रूई	DR/UJN / 1536 / 16.01.2002	2284 / 01.10.2013
15	दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित असावता	DR/UJN / 2143 / 18.08.2015	1314 / 18.06.2018
16	दि यूनाईटेड साख सहकारी संस्था मर्यादित उज्जैन	DR/UJN / 77 / 02.02.2005	2903 / 23.12.2022
17	सर्वोदय साबुन उद्योग सह. संस्था मर्यादित उज्जैन	DR/UJN / 20 / 26.05.1960	2903 / 23.12.2022

अतः मैं अशोक शर्मा, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक, म0प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 एवं म0प्र0 सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिये

सूचनापत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना देना शेष निकल रहा हो तो वे इस विज्ञापित के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाणपत्र सहित मुझे कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित/सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तके, रोकड, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उक्त रिकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक सूचना आज दिनांक 01.02.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी की गयी।

अशोक शर्मा,

परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक

(G-403)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, शाजापुर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 0003/बी-113/2021-22

(शीर्षक श्री मोहना पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर मूर्ति पूजक ट्रस्ट शाजापुर)
मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 5 (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1952 का नियम 5 (1) देखिए।

पंजीयक लोक न्यास शाजापुर जिला शाजापुर के समक्ष

चूंकि श्री मोहना पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर मूर्ति पूजक ट्रस्ट की ओर से अधिकृत अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार जैन पिता श्री लाभमल जैन निवासी मं.नं. 350 वार्ड नं. 1 ग्राम मोहना तहसील मोमन वडोदिया जिला शाजापुर द्वारा लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 के अंतर्गत जो कि सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना, और सामाजिक धार्मिक एवं अन्य सामाजिक गतिविधियों सम्पन्न कराना गौशाला का उत्थान एवं गौशालाओं का संचालन करना, देवी विपत्ति, अनावृष्टि, बाढ़, अकाल, भूकम्प पीडित बन्धुओं की जन सहयोग के माध्यम से यथासंभव सेवा एवं सहायता करना। राज्य सरकार एवं केन्द्रिय सरकार के द्वारा विभिन्न धार्मिक योजनाओं का क्रियान्वयन कर सहयोग प्राप्त करना। न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दान, सहायता आदि के रूप में द्रव्य एवं सामग्री एकत्रित करना, उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये समय समय आवश्यक कदम उठाना, स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर की स्वयं सेवा संस्था, व्यक्तियों, दानदाताओं एवं फाउन्डिंग एजेंसियों तथा राज्य सरकार एवं भारत सरकार से सहयोग लेना एवं कार्यक्रमों का आयोजन करना गतिविधि स्वरूप का होगा के पंजीयन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसकी चल-अचल संपत्ति परिशिष्ट में दर्शाई गई है। सर्व संबंधित को यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे न्यायालय में विचाराधीन नियत है।

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा, कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, व इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें, निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों या सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट "अ"

न्यास की चल संपत्ति का विवरण

बर्तन आदि लगभग 10000 रु के

परिशिष्ट "ब"

न्यास की अचल संपत्ति का विवरण

मंदिर की भूमि संलग्न नक्शा

आज दिनांक 15/03/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(G-404)

शैली कनास, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्याया पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अनुभाग (मल्हारगंज) इंदौर, मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 : तीस : (95) की धारा 5(2) व मध्य प्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत आवेदक "श्री लक्ष्मीनारायण सिटी देवस्थान ट्रस्ट" तर्फे श्री अंतरसिंह बैस पिता स्व. श्री जग्गुसिंह बैस कार्यालय पता- सी-13 एल एन सिटी नैनोद इंदौर म.प्र. इंदौर द्वारा "श्री लक्ष्मीनारायण सिटी देवस्थान ट्रस्ट" का म.प्र. का पब्लिक एक्ट की धारा 4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल - चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम :-	"श्री लक्ष्मीनारायण सिटी देवस्थान ट्रस्ट"
कार्यालय :-	कार्यालय सी-13 एल एन सिटी नैनोद इंदौर म.प्र.
चल-अचल संपत्ति :-	चल - अचल सम्पत्ति निरंक है।

आज दिनांक 14/02/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(G-405)

मुनीष सिंह सिकरवार, रजिस्ट्रार.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, मुरैना

प्र.क्र 001/22-23/बी-113

मुरैना, दिनांक 15 फरवरी 2023

बनाम:- हर आम जनता ग्राम जौराखुर्द जिला मुरैना म.प्र. को जर्गे विज्ञप्ति द्वारा सूचित किया जाता है कि मंहत मदनमोहन शरण गुरु निवासी रामजानकी तपसी बाबा गुफा मन्दिर कलेक्ट्रेट रोड़ मुरैना द्वारा लोक न्यास की धारा 4 के अन्तर्गत मुरैना में स्थित "संत श्री 1008 श्री तपसी बाबा जी सनातन धर्म सेवा मुरैना" को ट्रस्ट के रूप में पंजीयन किये जाने हेतु इस न्यायालय में आवेदन किया गया है।

प्रकरण इस न्यायालय में पंजीकृत कर लिया गया है यदि किसी व्यक्ति को संत श्री 1008 श्री तपसी बाबा जी सनातन धर्म सेवा के गठन व उसके पंजीयन के संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस न्यायालय में दिनांक 17.04.2023 को स्वयं या अभिभाषक के मार्फत प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक 17.04.2023 के उपरांत प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 15.02.2023 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय के पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-406)

एस. के. पाण्डेय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, जूनी इंदौर क्षेत्र, जिला
इंदौर, मध्यप्रदेश

(कलेक्टोरेट कार्यालय कक्ष क्रमांक 204 जिला इंदौर, मध्यप्रदेश)

क्र. 1686-रीडर-1-23.

जूनी इंदौर, दिनांक 3 फरवरी 2023

मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 : तीस : (95) की धारा 5(2) व

मध्य प्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत

आवेदक अखिल भारतीय वंजारा वंजारी सेवा संघ इन्दौर पता-एल.जी.-1, सम्यक पार्क, नेहरु पार्क रोड, मीरापथ, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं । निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल - चल संपत्ति का विवरण)

आवेदक अखिल भारतीय वंजारा वंजारी सेवा संघ इन्दौर पता-एल.जी.-1, सम्यक पार्क, नेहरु पार्क रोड, मीरापथ, इन्दौर
अचल संपत्ति :- निरंक ।
चल संपत्ति :- 2,000/-।

आज दिनांक 03/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया

(G-407)

क्र. 1698-रीडर-1-23.

जूनी इंदौर, दिनांक 3 फरवरी 2023

मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 : तीस : (95) की धारा 5(2) व

मध्य प्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत

आवेदक सारको फाउण्डेशन पता-7, मंगल नगर, ऐ. बी. रोड, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं । निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल - चल संपत्ति का विवरण)

आवेदक सारको फाउण्डेशन पता-7, मंगल नगर, ऐ. बी. रोड, इन्दौर
अचल संपत्ति :- निरंक ।
चल संपत्ति :- 11,000/-।

आज दिनांक 03/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया ।

(G-408)

अंशुल खरे, रजिस्ट्रार.

कार्यालय, पंजीयक लोकन्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मंडला

(मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 05 की उपधारा
(2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) के द्वारा)

लोक न्यासों के पंजीयक मंडला जिला के समक्ष

यतः कि संतोष कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. बलमद्र प्रसाद अग्रवाल निवासी बम्हनी बंजर तहसील मंडला जिला मंडला ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 06/04/2023 के गुरुवार के दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियां में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है, और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना ~~चाहिए~~ उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियां को विचार में नहीं लिया जाएगा।

(G-409)

पुष्पेन्द्र अहके, पंजीयक.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च 2023-फाल्गुन 26, शक 1944

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)